



CENTRE FOR WOMEN'S STUDIES

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

E-mail : cwsprsurapur@yahoo.in

//प्रतिवेदन//

यू.जी.सी.नई, दिल्ली से प्राप्त पत्र के परिपालन में आज दिनांक 10/12/2024 को महिला अध्ययन केन्द्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा विषय लिंग आधारित हिंसा उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्त भारत पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल, संयुक्त, संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ शासन एवं वक्ता डॉ. अशोक त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद तथा विशिष्ट अतिथि सुश्री योगिता रावत, सहायक महाप्रबंधक, हीरा गुरुप गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर प्रो. रीता वेणुगोपाल, संचालक, प्रो. प्रियम्वदा श्रीवास्तव, एसोसिएट डायरेक्टर, महिला अध्ययन केन्द्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं प्राध्यापकगण तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के छात्र/छात्राएं उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलन से की गई तत्पश्चात् प्रो. रीता वेणुगोपाल, संचालक, महिला अध्ययन केन्द्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत उद्बोधन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वक्ता श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल, संयुक्त, संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ शासन को वक्तव्य के लिए आमंत्रित किये।

वक्ता श्रीमती क्रिस्टीना द्वारा अपने वक्तव्य में महिलाओं पर होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर कैसे सावधान रहे एवं बाल विवाह से संबंधित छत्तीसगढ़ में चल रहे नवा बिहान योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हम सभी के बीच साझा किये।

इसी अनुक्रम में वक्ता के रूप में आमंत्रित डॉ. अशोक त्रिपाठी, द्वारा बाल विवाह से संबंध में सतर्कता एवं इसे रोकने के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं होने से बच्चों पर बाल विवाह का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बाल विवाह के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि विवाह की सही आयु 21 वर्ष करने चाहिए। ताकि लड़की विवाह के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण तैयार रहे। वर्तमान में सभी लड़कीयों को आत्म सुरक्षा सेल्फ डिफेन्स भी सीखने चाहिए ताकि विपरीत समय आने पर अपनी रक्षा स्वयं कर सके।

कार्यक्रम अगले चरण में विशिष्ट अतिथि सुश्री योगिता रावत द्वारा बाल विवाह से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह अपराध है एवं इसके विपरीत प्रभाव भी देखे गये है। इस संबंध में समाज में जागरूकता लाने के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1089 द्वारा बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान किये।

कार्यक्रम के अंत में प्रो.प्रियम्वदा श्रीवास्तव,एसोसिएट डायरेक्टर महिला अध्ययन केन्द्र,पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों एवं प्राध्यापकों,विद्यार्थियों को धन्यवादन ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।





